UPCH010027452022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0ऐक्ट/,
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0—1, चित्रकूट ।
उपस्थितः—राहुल मिश्रा.......एच0जे0एस0 (जे0ओ0कोड—यू0पी0 2726)

सत्र परीक्षण सं0—559/2022
उ0प्र0राज्य ।

..........................अभियोजन

बनाम

सुशील कुमार शुक्ला उम्र 40 वर्ष पुत्र जगदीश प्रसाद शुक्ला निवासी गुरौली, थाना बबेरू, जनपद बांदा, उत्तर प्रदेश।

..........................अभियुक्त

अन्तर्गत धारा—08/20 स्वापक औषधि
एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम।
थाना—मानिकपुर, जनपद चित्रकूट।
अपराध संख्या—115/2021

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण में अपराध संख्या—115/2021, धारा—08/20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, थाना मानिकपुर, जनपद चित्रकूट में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 11.10.2021, अन्तर्गत धारा 08/20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम विरूद्ध सुशील कुमार शुक्ला से उत्पन्न प्रकरण की विवेचना के पश्चात् तैयार आरोप—पत्र संख्या 122/2021, दिनांक 12.11.2021 अन्तर्गत धारा—08/20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के आधार पर यह सत्र परीक्षण वाद अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला के विरुद्ध चला है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 11.10.2021 को वरिष्ठ उपनिरीक्षक दिनेश कुमार सिंह मय हमराह कां० रविन्द्र प्रताप व कां० शुभम यादव के थाने से बहवाले र0नं0 40 समय 18.54 बजे रवाना होकर दुर्गा पूजा दशहरा में बाजार कस्वा मानिकपुर में शांति व्यवस्था डियूटी करते हुए डाट पुल से तिगलिया की तरफ आ रहे थे कि तिगलिया के पास पहुंचे थे कि मुखबीर खास ने आकर सूचना दिया कि एक व्यक्ति बस स्टैण्ड के आगे सिंह मारकेट के पास खडा होकर नाजायज गांजा बेच रहा है अगर जल्दी करते हैं तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके हमराही कर्मचारीगण को मकसद बताकर आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर विश्वास

Digitally signed by Rahul Mishra
Date: 2026.08.04 16:09:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किये कि किसी के पास गांजा जैसे कोई नाजायज वस्तु नही है तथा मुखबीर को साथ लेकर उसके बताये हुए रास्ते से चलकर बस स्टैंड मानिकपुर के पास पहुंचे कि मजार के सामने रुक कर मुखबिर ने इशारा करके बताया कि वह व्यक्ति जो इमली के पेड़ के बगल मार्केट के सामने झोला लिए खड़ा है वही व्यक्ति नाजायज गांजा बेच रहा है। मुखबिर इशारा करके चला गया कि वह पुलिस वाले मजार के आड़ से खड़ा होकर देख रहे थे कि इमली के पेड़ के पास खड़ा व्यक्ति झोले से पुड़िया निकाल कर दे रहा था तथा उस व्यक्ति से पैसे लेकर रख रहा है वह पुलिस वालो को पूरा विश्वास हो गया कि वह व्यक्ति जरुर कुछ नाजायज वस्तु बेच रहा है कि एक बारगी दबिश देकर उस व्यक्ति को समय करीब 19.40 बजे पकड़ लिए पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूंछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम सुशील कुमार शुक्ला पुत्र जगदीश प्रसाद शुक्ला निवासी गुरौली थाना बबेरु जनपद बाँदा बताया तथा अपनी उम्र 35 साल बताया दाहिने हाथ में लिए हुए झोले की जामा तलाशी ली गयी तो झोले में नाजायज गांजा तथा 25 पुड़िया कागज में पैक गांजा मिला तथा पहने हुए पैन्ट की जेब से बिक्री का 1100/– रुपये बरामद हुए। बरामद गांजा के सम्बन्ध में रखने व बेचने का अधिकार पत्र मांगा गया तो नही दिखा सका तथा माफी मांगने लगा बरामद नाजायज गांजा के सम्बन्ध में बताया गया कि तुम्हारे पास नाजायज गांजा है तो तुम्हारी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष चलकर तलाशी देनी होगी तब बता रहा है कि साहब अब पकड़ लिए मुझे किसी के सामने न ले जाइए मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप ही मेरी जामा तलाशी ले लीजिए मुझे कोई एतराज नहीं है तब अलग से एक सादे कागज पर सहमति पत्र तैयार कराकर हस्ताक्षर बनवाकर मौके पर जामा तलाशी ली गयी तो दाहिने हाथ में लिये हुए झोले में एक काली पन्नी में खुला गांजा तथा उसी में 25 पुड़िया गांजा बरामद हुआ। हमराही का० शुभम यादव से पास स्थित किराने की दुकान से कांटा बाट मंगाकर वजन किया गया तो झोले में कुल 01 किलो 400 ग्राम नाजायज गांजा तथा विक्री का 1100/–रूपये बरामद हुए। बरामद गांजा में से से वास्ते परीक्षण नमूना हेतु 50 ग्राम निकाल कर शेष गांजा को उसी झोले में काली पन्नी में रखकर सील मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। दौराने गिरफ्तारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व मा० उच्च न्यायालय के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के घर को जरिये मोबाइल फोन उसके द्वारा बताये गये नम्बर पर सूचना दिया गया। दौराने गिरफ्तारी व बरामदगी जनता के तमाम लोग आ गये हैं, जिन्हें गवाही हेतु बताया गया तो भलाई बुराई के डर से बिना पता बताये हुए हट बढ़ गये। बरामद गांजा झोले में तथा नमूना हेतु 50 ग्राम को अलग अलग सील कर नमूना मोहर अलग अलग तैयार किया गया। फर्द मौके पर टार्च व बिजली की रोशनी में लिखकर पढ़कर सर्व सम्बन्धित को सुनाकर हमराही कर्मचारीगण व अभियुक्त के हस्ताक्षर/अलामात बनवाये गये।

दिनांकः–04.08.2026

(राहुल मिश्रा)
विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0ऐक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी0 2726

3. थाना मानिकपुर पर डियूटी पर उपस्थित हेड कां0 नवल किशोर ने फर्द बरामदगी के आधार पर दिनांक 11.10.2021 को समय 20.48 बजे अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 08/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट बोल—बोलकर कम्प्यूटर पर दर्ज करायी गयी और उससे सम्बंधित प्रविष्टि थाने की जनरल डायरी में रपट नं0—45, दिनांक 11.10.2021, समय 20.48 बजे पर बोल—बोलकर कम्प्यूटर पर उसी समय अंकित करायी गयी। तत्पश्चात् मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

4. प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर स्थल का मानचित्र तैयार किया गया। साक्षियों तथा अभियुक्त के बयान अंकित किये। संकलित साक्ष्य के आधार पर विवेचना के उपरान्त अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला के विरुद्ध धारा—08/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के अन्तर्गत आरोप—पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. दिनांक 15.09.2022 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 चित्रकूट द्वारा आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिया गया।

6. अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला के विरुद्ध दिनांक 21.03.2023 को धारा—08/20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया तथा आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इनकार किया और परीक्षण की मांग की।

7. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी निम्नवत हैः—

क्र0 सं0	**साक्षी का नाम**	**साक्षी संख्या**	**साक्ष्य दिनांक**	**प्रदर्शित किया गया है।**
1	वादी मुकदमा उपनिरीक्षक दिनेश कुमार सिंह	1	09.06.2023	फर्द बरामदगी अवैध गांजा 01 किलो 400 ग्राम दिनांकित 11.10.2021 **प्रदर्श क—1**, बरामद झोला **वस्तु प्रदर्श—1**
2	हेड कां0 नवल किशोर	2	17.07.2025	प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.10.2021, समय 20.48 बजे **प्रदर्श क—2,** कायमी जी0डी0 सं0—45, दिनांक 11.10.2021 समय 20.48 बजे **प्रदर्श क—3**
3	उपनिरीक्षक फिरोज खां	3	03.09.2025	नक्शा नजरी **प्रदर्श क—4,** आरोप पत्र सं0—122/2021, दिनांक 12.11.2021 **प्रदर्श क—5**

8. अभियोजन द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज निम्नवत हैः—

क0 सं0	दस्तावेज	प्रदर्शित किया गया है।	किस साक्षी ने प्रदर्शित किया है।
1	प्रदर्श क—1	फर्द बरामदगी अवैध गांजा 01 किलो 400 ग्राम दिनांकित 11.10.2021	पी0डब्लू01 वादी मुकदमा उपनिरीक्षक दिनेश कुमार सिंह
2	प्रदर्श क—2	प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.10.2021, समय 20.48 बजे	पी0डब्लू02 हेड कां0 नवल किशोर
3	प्रदर्श क—3	कायमी जी0डी0 सं0—45, दिनांक 11.10. 2021 समय 20.48 बजे	पी0डब्लू02 हेड कां0 नवल किशोर
4	प्रदर्श क—4	नक्शा नजरी	पी0डब्लू03 उपनिरीक्षक फिरोज खां
5	प्रदर्श क—5	आरोप पत्र सं0—122 / 2021, दिनांक 12.11.2021	पी0डब्लू03 उपनिरीक्षक फिरोज खां

9. अभियोजन द्वारा प्रदर्शित वस्तु प्रदर्श निम्नवत हैः—

क0 सं0	प्रदर्श	प्रदर्शित किया गया है।	किस साक्षी ने प्रदर्शित किया है।
1	वस्तु प्रदर्श—1	झोला	वादी मुकदमा उपनिरीक्षक दिनेश कुमार सिंह

10. पत्रावली पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला, फाफामऊ (शांतिपुरम) प्रयागराज उत्तर प्रदेश, की रिपोर्ट दिनांकित 18.06.2022 उपलब्ध है।

11. अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला के बयान अन्तर्गत धारा—313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें उसने अभियोजन कथानक को सही गवाही देना बताया, तथा अपने विरुद्ध मुकदमा गलती हो जाना कहा, सफाई साक्ष्य देने से इनकार किया तथा अतिरिक्त कथन में कहा है कि गलती हो गयी है माफ कर दिया जाये।

12. अभियोजन द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस केस में अभियुक्त के पास से 01 किलो 400 ग्राम सूखा गांजा नाजायज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, गश्त भ्रमण, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व रोकथाम जुर्म जरायम के दौरान बरामद होने का आरोप है। तथ्य के साक्षी पी0डब्ल्यू0—1 उपनिरीक्षक दिनेश कुमार सिह, पी0डब्ल्यू0—2 हेड कांस्टेबल नवल किशोर, पी0डब्ल्यू0—3 विवेचक उपनिरीक्षक फिरोज खां को परीक्षित कराया गया है, उसने अपने सशपथ बयान में इस बरामदगी का समर्थन किया है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि रासायनिक परीक्षण से बरामद वस्तु गांजा पायी गयी है। अभियुक्त के पास से गांजा की बरामदगी का आरोप सिद्ध हुआ है, अतः उसे दोषसिद्ध किया जाना चाहिए।

13. बचाव पक्ष की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त को इस प्रकरण में फंसाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में धारा–42, धारा–50, धारा–52 व धारा–57 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट का अनुपालन नहीं किया गया है, जबकि यह सभी प्रावधान आदेशात्मक हैं और इनका अनुपालन किया जाना होता है। अभियोजन कथानक को गलत एवं झूठा बरामदगी होना, झूठा बयान देना तथा झूठा मुकदमा दर्ज कर, झूठे प्रपत्र तैयार किया जाना कहा गया अपने विरुद्ध मुकदमा झूठा एवं गलत चलना कहा गया, सफाई साक्ष्य देने से इनकार किया तथा अतिरिक्त कथन में कहा है कि गलती हो गयी माफ कर दिया जाये।

14. प्रकरण में यह विनिश्चित किया जाना है कि क्या दिनांक 11.10.2021 को समय 19.40 बजे बहद स्थान बस स्टैण्ड मानिकपुर, थाना मानिकपुर, जिला चित्रकूट में अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला की तलाशी पुलिस द्वारा लिये जाने पर अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला के कब्जे से दाहिने हाथ में लिये झोले में रखा खुला तथा 25 पुड़िया गांजा जिसका वजन 01 किलो 400 ग्राम था बरामद हुआ, जिसे रखने का कोई प्राधिकार–पत्र अभियुक्त नहीं दिखा सका? क्या अभियुक्त ने धारा–08/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया?

15. अभियोजन साक्षियों द्वारा किये गये कथन निम्नवत् हैं:–

16. **पी0डब्ल्यू0–1 वादी मुकदमा उपनिरीक्षक दिनेश कुमार सिंह** ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कथन किया है कि दिनांक 11–10–2021 को मैं वरिष्ठ उपनिरीक्षक के पद पर थाना मानिकपुर में तैनात था। उपरोक्त दिनांक को ही हमराह कॉ० रवीन्द्र प्रताप व कां0 शुभम यादव के साथ बहवाले रपट नम्बर 40 समय 18.54 बजे थाना हाजा से रवाना होकर दुर्गापूजा दशहरा में बाजार कस्बा मानिकपुर में शांति व्यवस्था करते हुए डाट पुल से तिगलिया की तरफ आ रहे थे तभी मुखबिर खास ने आकर सूचना दी कि बस स्टैंड मानिकपुर सिंह मार्केट के पास एक व्यक्ति नाजायज गांजा बेंच रहा है। अगर जल्दी किया जाये तो उसे पकड़ा जा सकता है। सूचना पर विश्वास करके हम पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर इत्मीनान किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। मुखबिर को साथ लेकर बताये हुए स्थान पर पहुंचे तभी मुखबिर ने इशारा करके बताया कि मजार के पास इमली के पेड के बगल मार्केट के सामने जो व्यक्ति झोला लिये खड़ा है वही वह व्यक्ति है। मुखबिर बताकर वहाँ से हट बढ़ गया। जैसे ही हम लोग उस व्यक्ति की तरफ आगे बढ़े तो देखा कि वह पुड़िया निकालकर एक व्यक्ति को दे रहा है और पैसा लेकर अपनी जेब में रख रहा है। इससे हमें इत्मीनान हो गया कि वह व्यक्ति कोई नाजायज वस्तु बेंच रहा है। हम पुलिसकर्मियों ने एकबारगी दबिश देकर उस व्यक्ति को पकड़ लिया तथा नाम व पता पूँछा तो उसने अपना नाम सुशील कुमार शुक्ला पुत्र जगदीश प्रसाद शुक्ला निवासी गुरौली थाना बबेरू जनपद बांदा बताया तथा दाहिने हांथ

में लिये झोले के बारे में पूँछा गया तो उसने बताया कि इसमें गाँजा है। अभियुक्त द्वारा गांजा बताये जाने पर उसे बताया गया कि तुम्हें अधिकार है कि तुम अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के समक्ष दे सकते हो जिस पर अभियुक्त ने कहा कि आप ने मुझे पकड़ ही लिया है तो आप ही मेरी जामा तलाशी ले लीजिए मैं सहमति पत्र देने को तैयार हूँ। अभियुक्त द्वारा सहमति पत्र लिखकर दिया गया। इसके बाद अभियुक्त के झोले को खोलकर देखा गया तो नाजायज गांजा व 25 पुड़िया कागज में पैक गांजा मिला तथा पहने हुए पैंट की जेब की तलाशी लेने पर गांजा बिक्री का 1100/– रूपये बरामद हुए। कॉ० सुभम यादव को भेजकर तराजू मंगाकर बरामदशुदा गांजे की तौल की गयी तो कुल एक किलोग्राम व 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसमें से 50 ग्राम बतौर नमूना अलग निकालकर सील सर्वमोहर करके तथा शेष गांजे को उसी झोले में रखकर और बरामदशुदा पुडियों को भी उसी झोले में रखकर सील सर्वमोहर किया गया। कार्यवाही के दौरान आ जा रहे लोगों से साक्ष्य के लिए कहा गया परन्तु भलाई बुराई के डर से कोई तैयार नहीं हुआ। फर्द मौके पर मेरे द्वारा तैयार करके पढकर, सुनाकर हमराहीगण व अभियुक्त के हस्ताक्षर बनवाये गये। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी। अभियुक्त से बरामदशुदा माल सर्व सीलमोहर आज न्यायालय में मेरे समक्ष है। साक्षी द्वारा सर्व सीलमोहर की तस्दीक की गयी। न्यायालय की अनुमति से माल को खोला गया जिसे देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही गांजा है जो अभियुक्त से बरामद हुआ है। झोला के अन्दर अलग से भरी हुई गांजा की पुडियों को देखकर साक्षी ने बताया कि ये गांजे की पुडिया भी अभियुक्त के पास से बरामद हुई हैं। झोले पर **वस्तु प्रदर्श–1** डाला गया। साक्षी द्वारा पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 5क फर्द को देखकर बताया गया कि यह मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया।

17. **पी0डब्ल्यू0–2 हेड कांस्टेबल नवल किशोर** ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कथन किया है कि मैं दिनांक 11.10.2021 को थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट में हे० मो० के पद पर तैनात था व कार्यलेख ड्यूटी पर नियुक्त था। उसी दिनांक को वरिष्ठ उपनिरीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा दाखिल किया गया फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मेरे द्वारा मु0अ0सं0 115/2021 अन्तर्गत धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट बनाम सुशील कुमार शुक्ला के विरुद्ध सी०सी०टी०एन०एस० पर नियुक्त कर्मी के द्वारा, बोल–बोल कर मेरे द्वारा पंजीकृत कराया गया था जिसका उल्लेख रपट नम्बर 45 पर समय 20.48 बजे किया गया है। चिक एफ0आई0 आर0 पर प्रभारी निरीक्षक सुभाष चन्द्र चौरसिया के हस्ताक्षर बने हैं एवं पत्रावली में कागज संख्या 4क/1 लगायत 4क/4 के रूप में संलग्न है जिसकी मैं पहुंचान व पुष्टि करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया व पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 7क प्रमाणित जी० डी० कायमी पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसकी मैं पहुंचान व पुष्टि करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया।

18. **पी0डब्ल्यू0–3 विवेचक उपनिरीक्षक फिरोज खां** ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कथन किया है कि दिनांक 12.10.2021 को मैं उपनिरीक्षक के पद पर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट में तैनात था। मुझे इसी दिनांक को मु0अ0सं0 115/2021 अन्तर्गत धारा 8/20 एन0डी०पी०एस० ऐक्ट थाना मानिकपुर बनाम सुशील कुमार शुक्ला की विवेचना थाना प्रभारी मानिकपुर के आदेश से प्राप्त हुई थी। पर्चा नं0 01 दिनांक 12.10.2021 को किता किया गया जिसमें नकल एफ0आई0आर0, नकल रपट कायमी, अवलोकन गिरफ्तारी प्रपत्र, अवलोकन सहमति पत्र, बयान एफ०आई०आर० लेखक, बयान अभियुक्त अंकित किया गया था तथा अभियुक्त सुशील कुमार का माननीय न्यायालय से 14 दिवस का रिमाण्ड लिया गया था। पर्चा नं0 02 दिनांक 14.10.2021 को किता किया गया जिसमें बयान वादी उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह का बयान अंकित किया तथा वादी की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया था एवं नक्शानजरी मौके पर तैयार किया था। पर्चा नं0 04 दिनांक 09. 11.2021 को किता किया जिसमें फर्द गवाह आरक्षी रवीन्द्र प्रताप एवं आरक्षी शुभम यादव के बयान अंकित किया था। पर्चा नं0 05 दिनांक 12.11.2021 को किता किया जिसमें आरक्षी अरुण कुमार द्वारा दिनांक 08.11.2021 को माल मुकदमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, प्रयागराज दाखिल किया गया, दाखिल संख्या 2235 है। बयान वादी, निरीक्षण घटनास्थल, बयान फर्द गवाह, तमामी विवेचना अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला के विरुद्ध धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के अन्तर्गत पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर मेरे द्वारा माननीय न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 11क नक्शानजरी मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 3क/1 लगायत 3क/4 आरोपपत्र है, जो मेरे द्वारा तैयार किया गया है एवं इस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया।

19. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) एवं अभियुक्त पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

20. अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला उम्र 40 वर्ष पुत्र जगदीश प्रसाद शुक्ला निवासी गुरौली, थाना बबेरू, जनपद बांदा पर यह आरोप है कि उसके द्वारा दिनांक 11.02.2021 को गांजा अवैध परिवहन किया जा रहा था। उक्त गांजा झोले में था और झोले को दाहिने हाथ में सुशील कुमार शुक्ला पकड़े हुये था। सुशील कुमार शुक्ला को जब पुलिस वालों ने रोका तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके हाथ में लिये झोले में गांजा है इस पर पुलिस बल के सदस्यों द्वारा सुशील कुमार शुक्ला को सूचना दी गयी कि वह अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी से करा सकता है या फिर तलाशी हेतु उसे राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ले जाया जा सकता है। इस पर सुशील कुमार शुक्ला

द्वारा स्वयं ही पुलिस बल द्वारा तलाशी कराये जाने का प्रस्ताव रखते हुये सहमति पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये है, इसके पश्चात सुशील कुमार शुक्ला द्वारा हाथ में लिये झोले की तलाशी ली गयी तो 25 पुड़िया गांजा सूखा बरामद हुआ, जो तौलने पर एक किलो 400 ग्राम निकला। उक्त बरामदगी कार्यवाही की फर्द बनायी गयी तथा फर्द बरामदगी के आधार पर दिनांक 11.10.2021 को समय 20.48 बजे सुशील कुमार शुक्ला के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या—115/2021, अन्तर्गत धारा 08/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना मानिकपुर, जनपद चित्रकूट में पंजीकृत किया गया, जिसकी जी0डी0 कायमी संख्या—45, दिनांक 11.10.2021 को समय 20.48 बजे दर्ज की गयी। दौरान विवेचना वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल पर निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया तथा अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य एवं सामग्री पाये जाने पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया। आरोप पत्र पर दिनांक 15.09.2022 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट चित्रकूट, एन0डी0पी0एस0 एक्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एवं अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर दिनांक 21.03.2023 को अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 08/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट निर्मित किया गया। अभियोजन द्वारा तीन अभियोजन साक्षियों उपनिरीक्षक दिनेश कुमार सिंह, हेड कां0 नवल किशोर, व उपनिरीक्षक फिरोज खां विवेचक का परीक्षण न्यायालय के समक्ष कराया गया। साक्षी संख्या—01, उपनिरीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला से बरामद गांजे की पहचान न्यायालय में की और उक्त गांजा अवैध झोले पर वस्तु प्रदर्श—1 व फर्द व बरामदगी पर प्रदर्श क—1 डाला गया। साक्षी संख्या—02 हेड कां0 नवल किशोर के द्वारा दिनांक 11.10.2021 को सुशील कुमार शुक्ला के कब्जे से समय 19.40 बजे अवैध गांजा एक किलो 400 ग्राम बहद स्थान बस स्टैण्ड मानिकपुर, थाना मानिकपुर, जिला चित्रकूट में बरामद किये जाने के तथ्य को अपने न्यायालीय कथन दिनांक 17.07.2025 में प्रमाणित किया गया है। इसके साथ—साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क—2 तथा जी0डी0 कायमी को प्रदर्श क—3 से प्रदर्शित किया गया है। साक्षी संख्या—03 उपनिरीक्षक फिरोज खां द्वारा नक्शा नजरी को प्रदर्श क—4 तथा आरोप पत्र को प्रदर्श क—5 से प्रमाणित किया गया है। फिरोज खां का परीक्षण अभियोजन साक्षी संख्या—3 की हैसियत से किया गया है। दौरान विचारण अभियुक्त द्वारा दण्ड प्रति संहिता की धारा 294 के अन्तर्गत फर्द बरामदगी अवैध गांजा एक किलो 400 ग्राम, जी0डी0 कायमी संख्या—45 दिनांक 11.10.2021, समय 20.48 बजे गिरफ्तारी सहमति पत्र, नक्शा नजरी, परीक्षण फॉर्म एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट दिनांकित 18.06.2022, कागज संख्या—25क और आरोप पत्र को स्वीकार किया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त विशेषज्ञ अभिमत दिनांक 18.06.2022 के अनुसार परीक्षण हेतु भेजे गये प्रदर्श संदिग्ध गांजा मात्रा 50 ग्राम

में गांजे के भाग पहचाने गये तथा परीक्षण के लिये भौतिक एवं रासायनिक विधियां प्रयोग की गयी। अतः विशेषज्ञ अभिमत में भी इस बात की पुष्टि हुई कि अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला से बरामद गांजे में से निकाले गये नमूने को परीक्षण के लिये भेजे गये थे, उसमें गांजे होने की पुष्टि पाई गयी। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 11.10.2021 को समय 19.40 बजे बहद स्थान बस स्टैण्ड मानिकपुर, थाना मानिकपुर, जनपद चित्रकूट से अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और जामा तलाशी लिये जाने पर अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला के दाहिने हाथ में लिये झोले से एक किलो 400 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ, जिसे रखने का कोई प्राधिकार—पत्र अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला नहीं दिखा सका। अतः उपरोक्त कारणों से अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला को स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम की धारा 08 / 20 में दोषसिद्ध करने के आधार पर्याप्त है।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या 559 / 2022, मुकदमा अपराध संख्या 115 / 2021 धारा 08 / 20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना मानिकपुर, जिला चित्रकूट के मामले में अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला को धारा 08 / 20 एन0डी0पी0एस0 के अन्तर्गत **दोषसिद्ध** किया जाता है।

अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला प्रस्तुत मामले में जमानत पर है। उनके जमानतनामें एवं बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदार को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

दोषसिद्ध अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला को दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांकः—04.08.2026

(राहुल मिश्रा)
अपर सत्र् न्यायाधीश,
कक्ष सं0—1, चित्रकूट।
जे0ओ0कोड—यू0पी0 2726

UPCH010027452022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0ऐक्ट/,
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0—1, चित्रकूट ।
उपस्थितः—राहुल मिश्रा.......एच0जे0एस0 (जे0ओ0कोड—यू0पी0 2726)

सत्र परीक्षण सं0—559/2022
उ0प्र0राज्य ।

.........................अभियोजन

बनाम

सुशील कुमार शुक्ला उम्र 40 वर्ष पुत्र जगदीश प्रसाद शुक्ला निवासी गुरौली, थाना बबेरू, जनपद बांदा, उत्तर प्रदेश।

..........................अभियुक्त

अन्तर्गत धारा—08/20 स्वापक औषधि
एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम।
थाना—मानिकपुर, जनपद चित्रकूट।
अपराध संख्या—115/2021

भोजनावकाश के पश्चात दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त पर अवैध पदार्थ गांजे का परिवहन कर रहा था, जो समाज में नासूर की तरह है। अतः अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये।

अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया जिनका कथन है कि अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त से गलती हो गयी है। अतः अभियुक्त को कम से कम दण्ड से दण्डित करते हुये नरमी बरती जाये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला को स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम की धारा 08/20 में दोषसिद्ध किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा दौरान विचारण न्यायालय का सहयोग शीघ्र विचारण में किया गया है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास हो ऐसा कोई भी प्रपत्र अभियोजन प्रस्तुत नहीं कर सका है। भारतीय न्याय व्यवस्था दण्ड के सुधारवादी सिद्धांत पर आधारित

जिसके अनुसार दण्ड का उद्देश्य अभियुक्त में सुधार की संभावनाओं को उत्पन्न कर उसे सभ्य नागरिक बनने का अवसर प्रदान करना है। अतः उपरोक्त कारणों से अभियुक्त को दौरान विचारण जेल में अभिरक्षा में बिताई गयी अवधि तथा 1400/–रूपये (चौदह सौ रूपये) के जुर्माने से दण्डित करना न्यायोचित होगा।

दण्डादेश

कार्यालय जेल अधीक्षक जिला कारागार चित्रकूट 210205 के पत्रांक संख्या–1597/यू0टी0/2026, अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला पुत्र जगदीश प्रसाद शुक्ला निवासी गुरौली, थाना बबेरू, जनपद बांदा, सत्र परीक्षण सं0–559/2022, अपराध संख्या 115/2021, धारा 08/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना मानिकपुर, जनपद चित्रकूट में दिनांक 12.10.2021 से दिनांक 27.10.2021 तक जिला कारागार में निरूद्ध था। अतः अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला को सत्र परीक्षण संख्या 559/2022, मु0अ0सं0 115/2021, धारा 08/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना मानिकपुर, जनपद चित्रकूट में जेल में बितायी गयी अवधि दिनांक 12.10.2021 से दिनांक 27.10.2021 तक के कारावास से दण्डित किया जाता है तथा 1400/–रूपये (चौदह सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि का भुगतान न किये जाने पर 4 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है।

इस निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दोषसिद्ध को सजा के अधिपत्र के साथ दण्डादेश भुगतने हेतु जिला कारागार चित्रकूट भेजा जाये।

अभियुक्त को धारा 428 दं0प्र0सं0 का लाभ प्राप्त होगा।

माल मुकदमाती वस्तु प्रदर्शों को बाद मियाद अपील, अपील न होने की स्थिति में नियमानुसार निस्तारित किया जाये। अपील होने की दशा में उक्त माल मुकदमाती का निस्तारण माननीय अपीलीय न्यायालय के अधीन होगा।

इस निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट को भी प्रेषित की जाये।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–04.08.2026

(राहुल मिश्रा)
अपर सत्र् न्यायाधीश,
कक्ष सं0–1, चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी0 2726

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः–04.08.2026

(राहुल मिश्रा)
अपर सत्र् न्यायाधीश,
कक्ष सं0–1, चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी0 2726

दिनांकः–04.08.2026

(राहुल मिश्रा)
विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0ऐक्ट/
अपर सत्र् न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी0 2726